

मैसर्स विशाल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

9 अक्टूबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, न्यायाधिपति]

1. उत्तरप्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976-धारा 10(1)-विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस-उपनियमों, निर्देशों, नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए भवन के उपयोग का आरोप-उपयोग में बदलाव की मांग-प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत-रिट याचिका-आरोपों से इनकार करना और उपयोग को बदलने की अन्य भूखंडों के पट्टेदारों के अनुसार अनुमति मांगना- खारिज-अपील में निर्धारित - प्राधिकरण के कृत्य को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता दूसरों के मामले में प्राधिकरण द्वारा अनियमितता करना प्रार्थी को समान लाभ के लिए कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है - प्राधिकरण ने विधि की मंजूरी के बिना कार्य नहीं किया है-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-समानता का अधिकार- अभिनिर्धारित- यह प्रावधान सकारात्मक समानता देता है न कि नकारात्मक समानता।

न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) ने अपीलार्थी को यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा 10(1) के तहत अपीलार्थी को उपनियमों, निर्देशों, नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर नोटिस जारी किया। इसमें नियमों का उल्लंघन करके एक मंजिल का उपयोग करना भी इंगित किया। अपीलार्थी ने नोटिस के जवाब में आरोपों को गलत बताया। अपीलार्थी ने अन्य पत्र द्वारा दो मंजिलों के उपयोग का परिवर्तन करने बाबत अनुरोध किया। अनुरोध अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी ने यह रुख अपनाते हुए रिट याचिका दायर की कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और उसे इन मंजिलों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि कुछ अन्य भूखंडों के पट्टेदारों के मामले में किया गया था। रिट याचिका खारिज कर दी गई।

अपीलार्थी ने इसके विरुद्ध अपील में तर्क दिया कि नोएडा का कृत्य भेदभावपूर्ण था क्योंकि नियमितीकरण के संबंध में नीति में बदलाव का लाभ उसे उतना नहीं दिया गया जितना दूसरों को दिया गया।

इस अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

1: तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए प्रत्यर्थीगण का कृत्य विधि विरुद्ध नहीं है। अपीलार्थी के 1993 में अभ्यावेदन करने के समय प्रश्नगत बताई गई नीति नहीं थी। दरअसल, बाद में नीति को बदला गया। कुछ

अन्य लोगों के मामले में अधिकारियों ने अनियमित तरीके से काम किया होगा। यह अपीलार्थी को समान लाभ का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं देता है। जहां तक अन्य भूखंडों के आवंटन का सवाल है, वे अलग-अलग स्तर पर हैं। उस संबंध में जारी किए गए ब्रोशर में शर्तें अलग थीं। [पैरा 9 और 18) [919-एफ; 914-एफ-जी]

2. संविधान का अनुच्छेद 14 किसी अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं है। यह सकारात्मक समानता का प्रावधान करता है न कि नकारात्मक समानता का। इसलिए, न्यायालय किसी प्राधिकारी को उसके द्वारा पहले किए गए गलत कार्य को दोहराने का निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं है। [पैरा 12) [917-एच; 918-ए]

सुशांत टैगोर व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, [2005] 3 एससीसी 16; स्नेहप्रभा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य; एआईआर (1996) एससी 540; सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर बनाम दौलतमल जाम व अन्य, [1997] 1 एससीसी 35; हरियाणा राज्य व अन्य बनाम राम कुमार मान, [1997] 3 एससीसी 321; फ़रीदाबाद सीटी स्कैन सेंटर बनाम डी.जी. स्वास्थ्य सेवाएँ और अन्य, [1997] 7 एससीसी 752; वित्त आयुक्त (राजस्व) बनाम गुलाब चंद्र व अन्य, (2001) एआईआर एससीडब्ल्यू 4774; जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम संपूर्ण सिंह एआईआर (1999) एससी 1347; भारत संघ और अन्य बनाम राकेश कुमार,

एआईआर (2001) एससी 1877; पंजाब राज्य व अन्य बनाम बनाम डॉ. राजीव सरवाल, [1999] 9 एससीसी 240; योगेश कुमार व अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार व अन्य, (2003] 3 एससीसी 548; भारत संघ व अन्य बनाम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी व अन्य, [2003] 5 एससीसी 437; मैसर्स आनंद बटन लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, (2005) एआईआर एससीडब्ल्यू 67 और केरल राज्य/के. प्रसाद व अन्य, जेटी (2007) 9 एससी 140, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4732/2007
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 40812/2005 के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.5.2005 से सम्बन्धित संलग्न टी.पी.(सी) नंबर 846/2005

अपीलार्थी की ओर से संजय जैन, ओम प्रकाश मिश्रा और घनश्याम वशिष्ठ प्रत्यर्थागण की ओर से आर.जी. पाडिया, हरीश एन. साल्वे, प्रदीप मिश्रा, संदीप सिंह, टी. महिपाल, रीना सिंह और रवींद्र कुमार

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति द्वारा निर्णय सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण(संक्षेप में 'नोएडा') के अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.10.2004

और 31.3.2005 को पारित आदेशों की सत्यता पर सवाल उठाने वाली अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था और उत्तरदाताओं को प्लॉट नंबर पी-1, सेक्टर -18, नोएडा पर अपीलार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

3. प्रश्नगत नोटिस को अवैध रूप से अतिरिक्त निर्माण करने एवं भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए जारी किया गया था। उत्तरप्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धारा 10(1) के तहत नोटिस दिनांक 21.4.2004 जारी किया गया था। इस नोटिस में यह उल्लेख था कि दिनांक 21.4.2004 को निरीक्षण के समय यह पाया गया कि अपीलार्थी ने लीज डीड में वर्णित भवन उपनियमों और निर्देशों एवं नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया था, जिससे औद्योगिक विकास क्षेत्र की उचित योजना और सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और ऐसा आम जनता के हितों के विरुद्ध था। इसलिए, अपीलार्थी को 15 दिनों की अवधि के भीतर अनधिकृत निर्माण को हटाने और स्वीकृत योजना के अनुरूप निर्माण करने की आवश्यकता थी ताकि आम जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बाद में यह बताया गया कि लगाई गई शर्तों व नियमों के अनुसार अपीलार्थी भूतल का उपयोग नहीं कर रहा था। यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि अपीलार्थी आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहा तो नोएडा को उसके खर्चे पर अवैध निर्माण हटा देगा। चूंकि निर्देश का कोई अनुपालन नहीं हुआ, इसलिए अपीलार्थी को दिनांक 23.8.2004 को

एक और नोटिस भेजा गया। उन्हें फिर से पहले के नोटिस में निहित निर्देशों का पालन करना आवश्यक था क्योंकि लीज डीड की शर्तों के अनुसार ग्राउंड फ्लोर और सर्विस फ्लोर का उपयोग नहीं किया जा रहा था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.9.2004 को जवाब प्रस्तुत करके यह बताया गया कि उसने दिनांक 9.10.1992 को निर्माण पूरा कर लिया था और उसके बाद पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी ने कोई निर्माण नहीं किया था और नोटिस में लगाए गए आरोप गलत थे। इस पत्र के बाद दिनांक 7.10.2004 को एक और पत्र आया जिसमें अपीलार्थी द्वारा भूतल और ऊपरी भूतल के उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया था। अपीलार्थी के इस अनुरोध को नोएडा ने दिनांक 27.10.2004 को अस्वीकार करने की सूचना दी। यह इंगित किया गया था ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के लिए विशेष रूप से उपयोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसका उपयोग अन्यथा किया जा रहा था और यहां तक कि बेसमेंट का उपयोग कार्यालय के रूप में किया जा रहा था।

4. अपीलार्थी ने दिनांक 27 अक्टूबर, 2004 के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और उसे दिनांक 23 दिसंबर, 2004 को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया कि उसकी ओर से दिनांक 8 दिसंबर, 2004 को प्रस्तुत किये गये जवाब का निस्तारण करना चाहिए यदि इस बारे में पहले समुचित आदेश नहीं दिया गया है। अपीलार्थी की ओर से 31.3.2005 को दायर अभ्यावेदन

खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी ने यह आधार लिया कि उसे इन मंजिलों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि प्लॉट नंबर पी-4 और पी-5 और पी-6 के पट्टेदारों के मामलों में किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी ने ग्राउंड फ्लोर और सर्विस फ्लोर का नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग नहीं करने के आरोप को केवल अस्वीकार किया था।

5. अपीलार्थी का यह रुख भी खारिज कर दिया गया कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ अन्य भूखंडों के संबंध में उनके पट्टाधारक को अनुमति देने पर अपीलार्थी को लाभ देने का प्रश्न ही नहीं है। यहां तक कि प्लॉट संख्या पी-2 और पी-3 के आवंटन के मामले में भी विचलन कर दिया गया। तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी गई।

6. अपीलार्थी ने अपील में आधार लिया है कि कुछ लोगों के के विपरीत उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि नियमितीकरण के बिन्दु पर नीति में बदलाव किया गया है और अन्य व्यक्तियों को दिये गये लाभ की अपीलार्थी को भी अनुमति दी जानी चाहिए।

7. यह कहा गया है कि खंड 10(ए) के बारे में कुछ भी पवित्र नहीं है जिस पर उत्तरदाताओं ने भरोसा किया है। इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

8. प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि किसी भी तरह के भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तव में, नोएडा ने पहले ही उन व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिया है जिन्हें कथित तौर पर अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए कुछ लाभ दिए गए थे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अनधिकृत परिवर्धन किए गए हैं। यह भी बताया गया कि 1990 में निर्माण पूरा होने पर दिनांक 19.4.1993 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था और दिनांक 11.05.1993 और 5.7.1993 को अभ्यावेदन दिए गए थे। 1995-96 में नई नीति के साथ एक नई योजना शुरू की गई जिसे सभी निकटवर्ती भूखंडों पी-3, पी-4, पी-5 और पी-6 पर लागू किया गया। प्रत्यर्थागण 2, 3 और 4 की ओर से अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि 29.6.2004 को औद्योगिक समिति के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास, यूपी सरकार एवं अन्य को पत्र लिखकर बताया था कि प्लॉट संख्या पी-5 एवं पी-6 के निर्माण में दिनांक 20.5.2002 से 29.8.2003 की अवधि के दौरान नोएडा द्वारा अनियमितताएं की गयी हैं। आवंटन/पट्टे के मानदंडों/शर्तों का उल्लंघन करने पर प्लॉट संख्या पी-5 और पी-6 के संबंध में भी आवंटियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की गई है। यह भी कहा गया

कि अन्य भूखंडों के संबंध में की गई अनियमितताओं, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है/जारी किया जा रहा है।

9. अपीलार्थी द्वारा 1993 में अभ्यावेदन देने के समय कोई नीति प्रश्नगत नहीं थी। दरअसल, नीति में बदलाव बाद में आया। कुछ अन्य लोगों के मामले में अधिकारियों ने अनियमित तरीके से काम किया होगा। यह अपीलार्थी को समान लाभ का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है। जहां तक प्लॉट संख्या पी-5 और पी-6 के आवंटन का सवाल है, वह भिन्न आधारों पर दिये गये हैं। वर्ष 1995-96 में जारी ब्रोशर की शर्तें अलग थीं। उपरोक्त योजना का प्रासंगिक खंड इस प्रकार है:

".....उपयोग/प्रयोजन : बेसमेंट और भूतल का उपयोग दुकानों/शोरूम के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि सार्वजनिक उपद्रव/खतरा मानी जाने वाली गतिविधियाँ न हों और अन्य सभी मंजिलों को व्यावसायिक गतिविधियों और संस्थागत/आवासीय उपयोग में लेने की इस शर्त पर अनुमति दी जायेगी कि कोई सार्वजनिक उपद्रव न हो।"

10. वाणिज्यिक भवन के पूरा होने के तुरंत बाद, अपीलार्थी ने भूतल का पार्किंग स्थल के स्थान पर दुकानों के लिए उपयोग में परिवर्तन करने के लिए दिनांक 1.5.1993 और 5.7.1993 को पत्र प्रस्तुत किये। ऐसे

परिवर्तन या उपयोग के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई थी और ऐसे उपयोग में लेने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। प्रश्नगत ब्रोशर में निहित प्रासंगिक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:-

6. रेखाचित्रों का अनुमोदन

(ए) सफल बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी से भवन योजना की उचित मंजूरी प्राप्त करने के बाद निर्माण शुरू करेगा।

(बी) नीलामी के समय भूखंड के वास्तुशिल्प नियंत्रण चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। सफल बोली लगाने वाले को भुगतान पर न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से आर्किटेक्चरल कंट्रोल ड्राइंग खरीदनी होगी। इसके बाद आवंटी को न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्राप्त वास्तुशिल्प नियंत्रण चित्रों के आधार पर वास्तुकारों से योजना तैयार करानी होगी और भवन विनियमों और निर्देशों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से इसकी मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद आवंटी न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जारी स्वीकृत योजनाओं का कठोरता से पालन करते हुए भवन का निर्माण कार्य करेगा। भवन के पूरा होने पर, आवंटी को भवन पर कब्जा करने से पहले प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। वास्तुशिल्प नियंत्रण चित्रों में उल्लिखित नोट्स, विशिष्टताओं और

अन्य शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति और मंजूरी प्राप्त किए बिना, आवंटिती या फ्लोर एरिया के खरीददारों द्वारा कोई भी वृद्धि/परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

6. (सी)(i) भूतल (आवंटित वाणिज्यिक कार्यालय भूखंड पर निर्मित भवन का) का उपयोग विशेष रूप से पार्किंग के लिए किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के अस्थायी या स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. (सी)(ii) बेसमेंट का निर्माण वैकल्पिक है और यदि निर्माण किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वास्तुशिल्प नियंत्रण चित्रों और भवन योजनाओं के अनुसार किया जाएगा। बेसमेंट का उपयोग सेवाओं और भंडारण उद्देश्यों के लिए सख्ती से किया जाएगा।

6. (सी)(iii) प्लॉट पर किसी भी तरफ बैरिकेड या चारदीवारी की अनुमति नहीं होगी और ग्राउंड फ्लोर पर एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट तक आने-जाने की अनुमति होगी।

6. (सी)(iv) आवंटित किये गये भूखण्ड पर निर्मित भवन के प्रथम थल को केवल शॉरूम एवं ऑफिस के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा।

6. (सी)(v) शेष ऊपरी मंजिल का निर्माण विशेष रूप से केवल कार्यालयों के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

6. (सी)(vi) प्रत्येक मंजिल के क्षेत्र में बालकनी का क्षेत्र भी शामिल है। प्रस्तावित कथानक रेखा से परे किसी भी ओर प्रक्षेपण की अनुमति नहीं दी जाएगी। (जोर दिया गया)

11. इसके बाद अपीलार्थी और नोएडा के बीच 8 अगस्त, 1990 को लीज डीड निष्पादित की गई। ब्रोशर में मौजूद नियम और शर्तें लीज डीड में दोहराई गईं। पट्टा विलेख के प्रासंगिक खंड नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"X(ए). भूतल (कार्यालय के लिए आवंटित भूखंड पर निर्मित भवन का) का उपयोग विशेष रूप से पार्किंग के लिए किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के अस्थायी या स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

X(बी). बेसमेंट का निर्माण वैकल्पिक है और यदि निर्माण किया जाता है, तो पट्टादाता द्वारा अनुमोदित वास्तुशिल्प नियंत्रण ड्राइंग और भवन योजना के अनुसार किया जाएगा।

X(सी). प्लॉट के किसी भी तरफ किसी भी तरह की बैरिकेडिंग या चारदीवारी की अनुमति नहीं होगी और ग्राउंड फ्लोर पर एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट तक आने-जाने की अनुमति होगी।

X(डी). आवंटित भूखंड पर निर्मित भवन की पहली एवं ऊपर की मंजिलों का उपयोग विशेष रूप से शोरूम एवं कार्यालय के लिए ही किया जाएगा। आवंटित भूखंड पर निर्मित भवन की उपरोक्त मंजिलों का उपयोग

विशेष रूप से केवल कार्यालय के लिए किया जाएगा, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं।

XI.- कि पट्टाधारक पट्टादाता, नगरपालिका और विद्यमान अन्य प्राधिकारी अथवा तत्पश्चात अस्तित्व में आने वाले प्राधिकारी के नियमों, भवन विनियमों और निर्देशों का पालन करेगा और प्रस्तुत करेगा, जहां तक कि वे उक्त क्षेत्र में अचल संपत्ति से संबंधित हैं एवं इससे वहां के अन्य निवासियों के स्वास्थ्य, रक्षा और सुविधा पर असर पड़ता हो।

.....

.....

XIV.(ए) उस भूखंड या भवन का उपयोग पट्टा विलेख और पट्टादाता द्वारा निर्धारित वास्तुशिल्प नियंत्रण चित्रों में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। आवंटी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर पट्टादाता द्वारा वास्तुशिल्प नियंत्रण चित्र प्रदान किए जाएंगे, जो पट्टादाता से अनुमोदन के बाद उसी के अनुसार सख्ती से भूखंड पर निर्माण करेगा।

.....

.....

XXI. यदि पट्टेदार नियमों और शर्तों और भवन नियमों या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी अन्य नियम का पालन नहीं करता है, तो पट्टादाता द्वारा पट्टा रद्द कर दिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में पट्टाधारक को इसके संबंध में किसी भी मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।(जोर दिया गया)

12. अन्यथा भी, अनुच्छेद 14 का उद्देश्य किसी अवैधता को कायम रखना नहीं है। यह सकारात्मक समानता का प्रावधान करता है न कि नकारात्मक समानता का। इसलिए, हम किसी भी प्राधिकरण को उसके द्वारा पहले किए गए गलत कार्य को दोहराने का निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं हैं। सुशांत टैगोर व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, (2005) 3 एससीसी 16 में इस न्यायालय ने ऐसे एक तर्क को खारिज कर दिया, जिसे यह कहते हुए वर्तमान मामले में आगे बढ़ाने की मांग की गई थी: -

"केवल इसलिए कि प्रस्तावित विकास के कारण आम तौर पर लोगों को कुछ लाभ होंगे, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस स्थान की पारिस्थितिकी का त्याग कर दिया जाएगा। केवल इसलिए कि कुछ अतिक्रमण किए गए हैं और अनाधिकृत इमारतों का निर्माण किया गया है, यह अपने आप में अन्य निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने का अच्छा आधार नहीं हो सकता एवं अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। अवैध

अतिक्रमण, यदि कोई हो तो कानून के अनुसार हटाया जा सकता है। यह घिसा-पिटा कानून है कि अवैधता में कोई समानता नहीं है।"

13. इस दृष्टिकोण को स्नेहप्रभा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, एआईआर (1996) एससी 540, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर बनाम दौलत मल जैन व अन्य, [1997] 1 एससीसी 35, हरियाणा राज्य व अन्य बनाम राम कुमार मान, [1997] 3 एससीसी 321 एवं फ़रीदाबाद सीटी स्कैन सेंटर बनाम डीजी स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य, [1997] (7) एससीसी 752 में इस न्यायालय के निर्णयों से भी समर्थन मिलता है।

14. वित्त आयुक्त (राजस्व) बनाम गुलाब चंद्रा व अन्य, (2001) एआईआर एससीडब्ल्यू 4774 में इस न्यायालय ने यह तर्क खारिज कर दिया था कि चूंकि अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखा गया था, याचिकाकर्ता से वरिष्ठ व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवामुक्त नहीं किया जा सकता था, यह देखते हुए कि भले ही समान स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, समान स्थिति वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी इससे याचिकाकर्ता को कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

15. जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम संपूर्ण सिंह, एआईआर (1999) एससी 1347 और यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य बनाम राकेश कुमार,

एआईआर (2001) एससी 1877 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अदालतें यह निर्देश जारी नहीं कर सकती कि भेदभाव या कठिनाई के आधार पर वही गलती जारी रखी जावे।

16. कानून के विपरीत कोई भी कार्रवाई/आदेश किसी भी व्यक्ति को समान व्यवहार का कोई अधिकार नहीं देता है। (देखें: पंजाब राज्य व अन्य बनाम डॉ. राजीव सरवाल, [1999] 9 एससीसी 240; योगेश कुमार व अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार व अन्य, [2003] 3 एससीसी 548; भारत संघ व अन्य बनाम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी व अन्य, [2003] 5 एससीसी 437 एवं मैसर्स आनंद बटन लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, [2005] एआईआर एससीडब्ल्यू 67)

17. हाल ही में केरल राज्य बनाम के. प्रसाद व अन्य, जेटी (2007) 9 एससी 140, यह अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार निर्धारित किया गया कि:

"14. इस तरह की दलीलों से कुछ हद तक निपटते हुए, चंडीगढ़ प्रशासन व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य में इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यदि दूसरे व्यक्ति के पक्ष में दिया गया आदेश कानून के विपरीत पाया जाता है या उसके मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित नहीं पाया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसे अवैध या अनुचित आदेश को बाध्यकारी रिट

जारी करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में दी गई असाधारण असाधारण और विवेकाधीन शक्तियों का ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति को इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से सुस्थापित कर दिया गया है। [देखें: सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर बनाम दौलत मल जैन व अन्य और एकता शक्ति फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) इस प्रकार, यह कहना पर्याप्त होगा कि निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया आदेश किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसे अवैध या अनियमित आदेश के साथ समानता का दावा करने के लिए कानूनी आधार नहीं बन सकता है। एक न्यायिक मंच का अवैधताओं को कायम रखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

18. ऐसी तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए हम निर्देश देते हैं कि प्रत्यर्थागण के कृत्य कानून की मंजूरी के बिना नहीं है। अपील बिना योग्यता के है एवं खारिज करने योग्य है।"

टी.पी.(सी) नंबर 846/2005:

19. सिविल अपील संख्या 4732/2007 (एसएलपी (सी) संख्या 12531/2005 से उत्पन्न) में हमारे आदेश के मद्देनजर, स्थानांतरण याचिका में कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

अपील खारिज कर दी गई और स्थानांतरण याचिकाओं का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कृष्णा कांत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।